न्यायालय में श्रीमान ~~अतिरिक्त कलेक्टर~~ राजस्व मण्डल ग्वालियर
जिला–ग्वालियर (म0प्र0)

1– सावित्री सिंह पत्नी जीवन सिंह कछवाह

2– जीवन सिंह पिता राजाराम सिंह

दोनो निवासी ग्राम धुम्मा तह0 व जिला–अनूपपुर म0प्र0

.....आवेदक /निगरानीकर्तागण

बनाम

शेर सिंह उम्र 65 वर्ष पिता मंगल सिंह पवार निवासी ग्राम धुम्मा तह0 व जिला–अनूपपुर म0प्र0 .....गैरनिगरानीकर्ता

नायब तहसीलदार अनूपपुर के विरूद्ध राजस्व निगरानी रा0 प्र0क0 6/अ– 70/ 16–17 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2016 के विरूद्ध. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

महोदय,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:–

1 यह कि गैरनिगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक ग्राम धुग्मा प0ह0धुम्मा रा0 नि0 मण्डल फुनगा तह0 व0 जिला–अनूपपुर (म0प्र0) स्थित आ0ख0नं0 104/1/ख, रकबा 0.081 हे0 भूमि का भूमि स्वामी है। तथा उक्त आराजी पर आवेदक खलिहान बनाकर व फसल बोकर कास्तकारी करता चला आ रहा है। गैर निगरानीकर्तागण उक्त आराजी का नक्शा तर्मीम व सीमांकन की कार्यवाही तहसील न्यायालय अनूपपुर म0प्र0 के रा0प्र0क्र0 113/ अ–3/15–16 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2016 के माध्यम से करा चुका है।

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-1027-पीबीआर/2017 जिला-अनूपपुर

सावित्री सिंह आदि विरूद्ध शेरसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~09-01-2019~~ 09/01/2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 3. आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 06/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26-12-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 31-03-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 09/1/19 5. तहसीलदार जिला-अनूपपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

3

जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य